UPSH010009382026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–07, शाहजहॉपुर।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–460/2026
CNR N0-UPSH010009382026

पुत्तू लाल गुप्ता उर्फ नरेन्द्र गुप्ता, आयु करीब 59 वर्ष, **पुत्र मोहन लाल,** निवासी मोहल्ला महाजनान आजादनगर कस्वा व थाना जलालाबाद, जिला शाहजहॉपुर।

.....

प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

————–अभियोजन।

मु0अ0सं0–604/2025,
धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 व 66(डी0) आई0टी0 एक्ट,
थाना–जलालाबाद, जिला–शाहजहॉपुर।

दि0:–17–03–2026

आवेदक/अभियुक्त **पुत्तू लाल गुप्ता उर्फ नरेन्द्र गुप्ता,** मुकदमा अपराध संख्या–604/2025, धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 व 66(डी0) आई0टी0 एक्ट, थाना–जलालाबाद, जिला शाहजहॉपुर के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता स्वयं द्वारा शपथ पत्र में वर्णित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार, उपनिरीक्षक पवन कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.12.2025 इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि संदिग्ध मोबाइल नम्बर 9151085619 पर एन0सी0आर0टी0 पोर्टल पर एक्नॉलेजमेन्ट नं0 30811250095555 पंजीकृत है। उक्त कम्लेन्ट के आवेदक अतुल कुमार हैं, जिनके मोबाइल नं0 8882209136 पर आवेदक के साथ संदिग्ध मोबाइल नम्बर 9151085619 द्वारा ग्लोबल ट्रेड कम्पनी में स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्कीम बताकर आवेदक का इन्वेस्टमेंट कराकर उसके साथ साइबर फ्रॉड व आवेदक अतुल कुमार की उपरोक्त कम्लेंट नम्बर की ट्रान्जेक्शन आई0डी0 द्वारा आवेदक का पैसा खाता सं0–14260100004613 में कुल 2,22,000/–रू0 व खाता सं0–50100317202550 में कुल 50,000/–रूपये, खाता सं0–001425000000051, यू0पी0आई0 एकाउन्ट में दिपांशू के पे0टीएम0 आई0डी0 में धोखाधड़ी करके कुल 8,000/–रूपये ट्रांसफर करने तथा संदिग्ध मोबाइल नं0 9151085619 एस0एल0जी0 जी0डी0 प्रा0 लि0 मालिक टिंकल गुप्ता पुत्र नरेन्द्र गुप्ता नि0मो0 आजादनगर जलालाबाद,

Digitally signed by NUSRAT KHAN
Date: 2026.03.18 11:16:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

शाहजहॉपुर के नाम पंजीकृत है। उक्त प्रकरण की जांच में आवेदक के साथ संदिग्ध मो0 नं0 9151085619 व उपरोक्त खाता धारकों द्वारा साइबर अपराध के सम्बन्ध में प्राप्त होकर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना सह अभियुक्तों के ब्यानों के आधार पर आया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त कथित काल सेन्टर या किसी भी प्रकार के आनलाईन ट्रांजेक्शन से कोई सीधा संबंध नहीं है प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु जैसे लैपटाप, सिमकार्ड, मोबाईल फोन या राउटर आदि बरामद नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा जिन 69 लैपटाप और 50 सिमकार्डो की बरामदगी दिखाई गई है वह अन्य अभियुक्तों से संबंधित है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी ठोस साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को केवल उसके बेटों के व्यवसाय और बैंक खाते के कारण संदिग्ध माना जा रहा है प्रार्थी का उक्त कथित अपराध में कोई मेन्सरिया (आपराधिक इरादा) नहीं था। प्रार्थी/अभियुक्त के बैंक खातों में यदि कोई लेन–देन उसके बेटों द्वारा हुआ भी है तो वह पूर्णतः वैध व्यापारिक संबंधों के कारण है जिसे पुलिस द्वारा गलत तरीके से "ठगी का पैसा" दर्शाया जा रहा है प्रार्थी उन सभी लेन–देन का विवरण और आयकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को तैयार है चूंकि प्रार्थी 59 वर्षीय व्यक्ति है इसलिये उसके खातों का उपयोग उसके पुत्र ही करते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त अत्यन्त गंभीर बीमारियों से ग्रसित हृदय रोग, दोनों फेंफड़े आंशिक रुप से खराब है जिससे सांस लेने में तकलीफ रहती है और उच्च रक्तचाप का पुराना मरीज है जो मानसिक तनाव या जेल के वातावरण में जानलेवा साबित हो सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह पुलिस अभिरक्षा के कष्टों को सहन कर सके। जेल की परिस्थितियों में प्रार्थी के जीवन को अपूर्णनीय क्षति पहुंचने की प्रबल संभावना है। इस मामले में अन्य सहअभियुक्त पहले से ही जेल में हैं और पुलिस ने घटना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण उपकरण (हार्ट डिस्क, लैपटाप, सिमकार्ड, मोबाईल व जरूरी डाक्यूमेंट) पहले से ही कब्जे में ले लिये हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हिरासत की विधिक आवश्यकता शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है वह सभ्य समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और कर दाता है। उसकी गिरफ्तारी होने पर न केवल उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी बल्कि उसके परिवार पर भी गहरा संकट आ जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त का सारा डाटा और डिवाइस पुलिस के कब्जे में है इसलिये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और नष्ट करने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त फरार नहीं है बल्कि पुलिस द्वारा दी जा रही प्रताड़ना और अनुचित दबाव के कारण वह भयभीत है प्रार्थी को आशंका है कि यदि उसे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस उसे गंभीर रुप से अपमानित करेगी। प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा होने के उपरान्त माननीय न्यायालय के हर आदेश का पालन करेगा और अग्रिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत जांच में पूर्ण सहयोग का वचन देता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार व्यापारिक विवादों में अग्रिम जमानत दी जानी चाहिये।

सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. (2022) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत देते समय अभियुक्त की स्वास्थ्य स्थिति और उम्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। धारा 480 बी०एन०एस०एस० के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बीमार या आशक्त है तो उसे जमानत के मामले में विशेष रियायत दी जानी चाहिये। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा विधि के सुव्यवस्थापित सिद्धान्तों के आधार पर अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायहित में है। अतः आवेदक/अभियुक्त को दौरान विचारण मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया गया।

5– अग्रिम जमानत प्रार्थन पत्र पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का एवं आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार नहीं हैं। तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों व केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया।

7– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपनिरीक्षक पवन कुमार वादी मुकदमा द्वारा प्रतिबिम्ब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध मो0 नं0 9151085619 की जांच के दौरान एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर एक्नॉलेजमेंट सं0 30811250095555 पंजीकृत होना व कम्पलेन्ट के आवेदक अतुल कुमार के मोबाइल नं0 पर जानकारी किये जाने पर आवेदक अतुल कुमार के साथ उक्त संदिग्ध मोबाइल नं0 9151085619 द्वारा ग्लोबल ट्रेड कंपनी में स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्कीम बताकर आवेदक का इन्वेस्टमेंट कराकर उसके साथ साइबर फ्रॉड होना व आवेदक का पैसा खाता सं0 14260100004613 में कुल 2,22,000/–रूपये व खाता सं0 50100317202550 में कुल 50,000/–रूपये, खाता सं0 001425000000051, यू0पी0आई0 एकाउन्ट में दिपांशू के पे0टीएम0 में धोखाधड़ी करके कुल 8,000/–रूपये टान्सफर कराये जाने व संदिग्ध मोबाइल नं0 9151085619 एस0एल0जी0 डी0जी0 प्रा0 लि0 मालिक टिंकल गुप्ता अभियुक्त के नाम पंजीकृत होना उल्लिखित है।

8– विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा सं0 8 दिनांकित 22.12.2025 में शिकायतकर्ता/गवाह अतुल कुमार का बयान अंकित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया है कि माह नवम्बर 2025 में मेरे पास मोबाइल नं0 9151085619 से मेरे पास कॉल आया था तथा मुझसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने व अच्छा रिर्टन दिलाने को कहा, तो मैं उसकी बातों में आ गया, फिर उसने मुझे व्हाट्सएप में ग्लोबल ट्रेड 247.com के नाम से एक एप डाउनलोड करने हेतु लिंक भेजा और उसको डाउनलोड करने के बाद उसने मुझे क्यू.आर.कोड भेजा था और रूपये जमा करने के लिए कहा था। मैंने अपने कोटक महेन्द्रा के एकाउन्ट नं0 5312263136 से दिनांक 05.11.2025 को 2,000/–रूपये व 8,000/–रूपये, दिनांक 07.11.2025 को 10,000/–रूपये, दिनांक 10.11.2025 को 12,000/–रूपये, दिनांक 11.11.2025 को 20,000/–रूपये, दिनांक 12.11.2025 को 30,000/–रूपये, दिनांक 13.11.2025 को क्रमशः 2,000, 6,000, 20,000 एवं 50,000/–रूपये तथा दिनांक 14.11.2025 को

20,000/–रूपये व 20,000/–रूपये कुल 3,00,000/–रूपये दिये गये क्यू0आर0कोड पर जमा किये थे। मैंने जब मैंने अपना पैसा विदड्रॉल करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो मेरी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गयी। काफी प्रयास करने पर भी जब मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखाधड़ी की गयी है। मैंने दिनांक 19.11.2025 को थाना साइबर पुलिस स्टेशन को साउथ दिल्ली पर जाकर मोबाइल नम्बर 9151085619 के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी, जो मुझे क्यू0आर0कोड भेजा गया था, उस पर जब मैंने रूपया भेजा था, तो नाम पुत्तूलाल गुप्ता आ रहा था।

9– विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा सं0 6 दिनांकित 20.12.2025 में यह अभिलिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा संदिग्ध मोबाइल नम्बर 9151085619 तथा सस्पेक्ट नेम निहाल अंकित कराया गया था तथा शिकायतकर्ता के कोटक महेन्द्रा बैंक खाता सं0 5312263136 से करीब 3,00,000/–रूपये का साइबर फ्रॉड होना पाया गया, जिसमें से अभियुक्त पुत्तूलाल गुप्ता के बैंक खाता सं0 14260100004613 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जलालाबाद में विभिन्न तिथियों में कुल 2,22,000/–रूपये जमा होने का उल्लेख है।

10– फर्द बरामदगी 69 अदद लैपटॉप आदि व गिरफ्तारी 07 नफर अभियुक्त में गिरफ्तार सहअभियुक्त/मुख्य अभियुक्त टिंकल गुप्ता द्वारा स्वयं को एस0एल0जी0 डी0जी0 प्रा0लि0 का डायरेक्टर तथा अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना व शेयर मार्केट की आफिशियल वेबसाइड चोइस और स्वास्तिका का ग्राहकों का डाटा लेकर उनके फोन नं0 प्राप्त कर ग्राहकों को फोन पर संपर्क कर अपनी ग्लोबल ट्रेड कम्पनी में पैसे इन्वेस्टमेंट कराकर अधिक रिर्टन देने का लालच देकर उनको ग्लोबल ट्रेड एप की ए0पी0के0 फाइल भेजकर क्यू0आर0 कोड के माध्यम से रूपया अपने एवं अपने भाई विमल गुप्ता तथा **पिता पुत्तूलाल गुप्ता** तथा साथी कर्मचारीगण के खातों में डलवाने का उल्लेख किया गया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि मैं जो एप ग्राहकों से पैसे लेने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, यह वर्चुअल एप है, जो ग्राहकों को प्राफिट और लॉस दिखाता तो है, लेकिन वास्तव में वह होता नहीं है। जब भी कोई ग्राहक पैसे निकालने की रिक्वेस्ट डालता था, तो हम लोग उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देते थे। पूर्व में मेरी एस0एल0जी0 डी0जी0 कम्पनी के विरूद्ध एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर कई व्यक्तियों के द्वारा शिकायत भी की गयी, जिससे मेरे कुल मोबाइल नम्बर ब्लाक हो गये हैं, तब मैंने नई सिम अपनी कम्पनी के नाम जारी करायी।

11– सहअभियुक्त/मुख्य अभियुक्त टिंकल गुप्ता का बयान विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा सं0 2 में उल्लिखित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा यह बताया जाना अंकित है कि मैं एस0एल0जी0 डी0जी0 प्रा0 लि0 का डायरेक्टर बना था। मैं एम0बी0ए0 तक शिक्षित हूँ और अपने भाई विमल गुप्ता के साथ मिलकर यह कम्पनी चलाता हूँ। विमल गुप्ता को भी मैंने कम्पनी में डायरेक्टर बनाया था। हम दोनों भाई ऑनलाइन शेयर मार्केट में इनवेस्ट करने हेतु ग्राहकों को अपने कर्मचारियों के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराते थे। उक्त सहअभियुक्त ने यह भी कथन किया है कि ग्राहकों को ग्लोवल ट्रेड कम्पनी में इन्वेस्टमेंट कराकर अधिक रिर्टन देने का लालच देकर उनको ग्लोबल ट्रेड एप की ए.पी.के. फाइल भेजकर क्यू आर कोड के माध्यम से रूपया अपने एवं अपने भाई आवेदक विमल गुप्ता तथा

पिता नरेन्द्र गुप्ता उर्फ पुत्तू लाल गुप्ता एवं साथी कर्मचारीगण के खातों में डलवा लेता था तथा उस एप को चलाने का एडमिन कन्ट्रोल एक्सेस आवेदक विमल गुप्ता के पास भी था तथा ग्राहकों से ग्लोबल ट्रेड कम्पनी में पैसे इनवेस्टमेंट करने की बात कहकर जो रुपया लिया था, वह उसने अपने व अपने भाई विमल गुप्ता तथा पिता आवेदक/अभियुक्त नरेन्द्र गुप्ता उर्फ पुत्तू लाल के निजी खातों में प्राप्त किया था।

12– विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त पुत्तू लाल गुप्ता के एस0बी0आई0 एवं बैंक ऑफ बडौदा के बैंक खातों के विवरणों की प्रति बैंक से प्राप्त कर संलग्न की गयी है, जिसमें विभिन्न संव्यवहार यू0पी0आई0 के माध्यम से किया जाना प्रकट होता है।

13– विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नं0 9 में आवेदक/अभियुक्त पुत्तू लाल गुप्ता उर्फ नरेन्द्र गुप्ता के एस0बी0आई0 बैंक खाते में दिनांक 07.02.2025 से 20.12.2025 तक स्टेटमेंट समरी कुल डेविट काउन्ट 203 तथा कुल क्रेडिट काउन्ट 180 ..... कुल धनराशि डेविट 1745106.96 रूपये तथा कुल धनराशि क्रेडिट 1724282.00 रूपये पाया जाना बताया है तथा आवेदक/अभियुक्त पुत्तूलाल द्वारा अपनी वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपये अंकित किया जाना, जबकि वर्ष 2025 में दिनांक 17.02.2025 को उसके खाते में प्रारंभ में 27839.00 रूपये शेष तथा दिनांक 20.12.2025 तक 1724282.00 जमा होना तथा 1745106.96 रूपये निकाला जाना एवं 7014.04 रूपये शेष होने का अंकन करते हुए उल्लिखित किया है कि उससे अभियुक्त द्वारा किये जा रहे साइबर फ्राड के अपराध से किये गये अवैध धनोपार्जन की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा अभियुक्त के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते के विवरण दिनांक 01.01.2025 से दि0 15.11.2025 तक कुल क्रेडिट रूपया 2225025.00 तथा कुल डेबिट रूपया 2024549 पाया जाना उल्लिखित किया है तथा यह भी पाया गया है कि एक ही दिन में दर्जनों बार रूपया यू0पी0आई0 के माध्यम से खाते में जमा हुआ है तथा जमा होने के तत्काल बाद ही या तो रूपया निकाल लिया गया अथवा किसी अन्य खातों में ट्रान्सफर कर दिया गया है।

14– विवेचक द्वारा उक्त पर्चे में ही यह अंकित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित साइबर कम्लेन्टकर्ता अतुल कुमार के खाते से अभियुक्त पूत्तूलाल गुप्ता के खाते में दि0 05.11.2025 से 14.11.2025 तक कुल 2 लाख 22 हजार रूपया जमा होना पाया गया है।

15– अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में भी विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में केस डायरी के पर्चा सं0 15 में बयान गवाह पीड़ित रवि अहिरवार पुत्र शाकुलाल निवासी अमरपुर ललितपुर यू0पी0, पर्चा सं0 21 में बयान पीड़ित/गवाह विनोद कुमार राय पुत्र लालराम भोपाल मध्य प्रदेश, पर्चा सं0 22 में बयान पीड़ित/गवाह रमेशचन्द्र पुत्र रामगोपाल निवासी कालोल सिटी गांधीनगर गुजरात, बयान पीड़ित/गवाह नरेन्द्र रामरूप सिंह, पर्चा सं0 23 में बयान पीड़ित/गवाह भौतिक हिम्मत भाई शाह आदि के मौखिक बयान द्वारा मोबाइल अंकित हैं, जिनमें उनके द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से साइबर ठगी किये जाने के सम्बन्ध में बताया जाना उल्लिखित है। उक्त पीड़ित/साक्षी द्वारा उपलब्ध कराये गये व्हाटअप चैट स्क्रिन शॉट, यू0पी0आई0 भुगतान, ट्रान्जेक्शन आदि की प्रति भी विवेचना में विवेचक द्वारा केस डायरी का भाग बनाया गया है।

16– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण द्वारा लोगों से शेयर मार्केट में पैसे लगाने और अच्छा लाभ दिलाने का भरोसा दिलाकर रूपया सीधा अपने व अपने संबंधी तथा सहअभियुक्तगण के खातों में, न कि कम्पनी के खातों में प्राप्त कर एवं कम्पनी के नाम पर व्यक्तिगत लेनदेन कर लोगों के साथ साइबर ठगी किये जाने तथा मुख्य अभियुक्त द्वारा अपने जीवित पिता आवेदक/अभियुक्त नरेन्द्र गुप्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर एवं आवेदक/अभियुक्त नरेन्द्र गुप्ता के नाम से कोई बैंक खाता न होकर वर्तमान में पुत्तूलाल गुप्ता के नाम से बैंक खाता संचालित होना व उसमें साइबर के पीड़ित व्यक्तियों से सीधा रूपया जमा कराये जाने का गम्भीर आक्षेप है। विवेचक द्वारा विवेचना में आवेदक/अभियुक्त पुत्तूलाल गुप्ता एवं सह अभियुक्तगण विमल गुप्ता तथा दिपांशू आदि के बैंक खातों का विवरण भी विवेचना का भाग बनाया गया है तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के बैंक खातों के आधार पर साइबर शिकायतों को सर्च कर एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर ऑनलाइन फाइनेन्शियल फ्रॉड की शिकायतों का विवरण भी केस डायरी के पर्चा सं0 8 में उल्लिखित किया है तथा इनकी इन्टरनेट प्रतियों को केस डायरी के साथ सलंग्न किया गया है।

17– सहअभियुक्तगण टिंकल गुप्ता की नियमित जमानत इस न्यायालय से दिनांक 29–01–2026 तथा निहाल सक्सेना, प्रांजल सक्सेना उर्फ पुलकित की नियमित जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 06–02–2026, रोहित राठौर की नियमित जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 13–02–2026 तथा मोनू त्यागी का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 18–02–2026 को निरस्त की जा चुकी है।

18– आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित गम्भीर अपराध, अपराध की प्रकृति, आवेदक/अभियुक्त की भूमिका, समाज पर पड़ने वाले इसके कुप्रभाव, अपराध की व्यापकता व प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत एवं प्रकरण व उसके गुण दोष पर राय व्यक्त किये बिना, अभियुक्त/आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **पुत्तू लाल गुप्ता उर्फ नरेन्द्र गुप्ता,** मु0अ0सं0–604/2025, धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 व 66(डी0) आई0टी0 एक्ट, थाना–जलालाबाद, जिला शाहजहॉपुर के अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 17–03–2026

(नुसरत खान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–07, शाहजहॉपुर।
ID–UP1604